


उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-67/दो-2-2020
लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2020
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री संतोष कुमार वैश्य, संयुक्त सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ०प्र० शासन को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) गाजियाबाद के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री वैश्य प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ०प्र०शासन।
- 3- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 5- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ०प्र० शासन।
- 7- अनु सचिव, इरला (वे०प०प्र०), उ०प्र० शासन।
- 8- नियुक्ति अनुभाग-7
- 9- सम्बन्धित अधिकारी।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-टी-68/दो-2-2020
लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2020
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री संजय कुमार, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) बांदा को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) चन्दौली के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री संजय कुमार प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2- जिलाधिकारी, बांदा/चन्दौली।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ०प्र० शासन।
- 6- अनु सचिव, इरला (वे०प०प्र०), उ०प्र० शासन।
- 7- नियुक्ति अनुभाग-7
- 8- सम्बन्धित अधिकारी।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।